14

"आदेश"

श्री प्रवीण छाबडा पुत्र श्री नन्दलाल निवासी 105 गांधी कालौनी मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति की गयी है कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के परिसीमन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिस कारण उनके नाम पूर्व की भॉति होने चाहिये अतः कक्ष संख्या-9 गांधी कालौनी प्रथम व कक्ष संख्या-29 गांधी कालौनी द्वितीय किये जाने की कृपा करें।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि आपत्तिकर्ता का अनुरोध सही पाया गया। पूर्व परिसीमन में कक्ष संख्या-09 गॉधी कालोनी प्रथम व कक्ष सं0-29 गॉधी कालोनी द्वितीय थे, जिन्हें पूर्व की भॉति किया जाना औचित्यपूर्ण है, संस्तुति की जाती है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-09 गॉधी कालोनी प्रथम व वार्ड संख्या-29 गॉधी कालोनी द्वितीय तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

1/5

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर